भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2594

दिनांक 4 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

2594. श्री मणिक्कम टैगोर बी. :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजनाओं के अंतर्गत राज्य आंगनवाड़ियों के निर्माण हेतु व्यक्तियों, कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठित संस्थानों से चंदा स्वीकार करने के अतिरिक्त, स्वविवेक पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि भी प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से क्षेत्र की जनसंख्या, वास्तव में उपस्थिति बच्चों की संख्या और पहले से उपलब्ध केंद्रों की संख्या की तुलना में आंगनवाड़ी केंद्रों की वास्तविक आवश्यकताओं पर पुन: विचार करने और तत्पश्चात् एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : देश भर में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे एमपीएलएडीएस, एमपीएलएडीएस, बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी भवनों (एडब्ल्यूसी) के निर्माण के लिए निधियां प्राप्त करते रहें। राज्यों को अपने स्वयं के विवेक से अपने स्तर पर सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए

व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारिक घरानों और प्रतिष्ठित संस्थानों को बिना किसी बाध्यता के विशुद्ध रूप से नि:स्वार्थ आधार पर शामिल करें। इसी तरह, जिलाधिकारियों को इसके लिए संसाधनों को प्रोत्साहित/जुटाने के लिए पूरी तरह से नि:स्वार्थ आधार पर बिना किसी बाध्यता के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे शौचालय, आरडब्ल्यूएचएस, डीडब्ल्यूएस आदि अथवा आंगनवाड़ी कार्यकलाप के किसी भी पहलू जैसे ईसीसीई सामग्री, फर्नीचर, खाना पकाने के बर्तन, रसोई अवसंरचना, भंडारण सुविधा आदि के वित्तपोषण की अनुमति दी गई है।

(ग) : आंगनवाड़ी केन्द्रों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने कि आंगनवाड़ी केन्द्र मानदण्डों के अनुसार जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करें, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बार-बार सलाह दी गई है कि वे जमीनी स्तर पर स्कीम की पहुंच में असंतुलन के लिए आकलन करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह दोहराया गया है कि वे बस्तियों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की उपलब्धता के मुद्दे पर पुन:विचार करें और वास्तविक आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्धारण करें। मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनर्स्थापन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिकृत करते हैं। तथापि, आंगनवाड़ी केंद्रों को पुनर्स्थापित करते समय, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पर्याप्त भूमि, भवन, जल सुविधाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पहुंच में आसानी के अलावा, शहरी क्षेत्रों के मामले में अधिकतम यात्रा दूरी 5 किमी, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किमी और जनजातीय क्षेत्रों में 15 किमी से अधिक न होने के पहलू को ध्यान में रखा जाए।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे उन आंगनवाड़ी केन्द्रों का सह-पता लगाएं जो निकटवर्ती सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में किराए पर चल रहे हैं और जिनके पास पर्याप्त अवसंरचना नहीं है।

*****